


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में "ऑपरेशन थियेटर परिचारक" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.जा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में "ऑपरेशन थियेटर परिचारक" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल - कर सकते हैं।



(निर्मल कुमार भगत)
निदेशक (अस्पताल)

दूरभाष-011 : 23061334

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2019

सा.का.नि. ... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर परिचारक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑपरेशन थियेटर परिचारक	*04 (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					
(क)	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण, और	(7)			
(ख)	कम से कम 50 बिन्दुओं वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में कार्य करने का न्यूनतम छह महीने का अनुभव के साथ संत जॉन एम्बुलेंस (प्राथमिक उपचार) में प्रमाणपत्र। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करने हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित स्थितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।				
		(7)			
		(8)			
		(9)			
		(10)			

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	<p>(12)</p> <p>समूह- ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. ऑपरेशन थियेटर विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य। 	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>

[ए.11018/32/2019-आरआर]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार